


22.08.2023:—पत्रावली आज पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता श्री बहादुरराम स्वामी द्वारा फर्द अहकाम पर नोट लगाया की राजीनामा हो गया। राजीनाम हो ने के कारण वादी वाद पत्र मे आगामी कोई कार्यवाही नही चाहता। इसी कारण उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हों



सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
झुमानगढ़